

बिन्दु-2

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्यः—

उ0 प्र0 राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष द्वय/सदस्य सचिव तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य निम्न प्रकार हैं:-

क्रमांक पद नाम **शक्तियाँ एवं कर्तव्य**

1	अध्यक्ष	उ0प्र0 राज्य महिला आयोग अधिनियम 2004 यथासंशोधित 2007 में प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्य का निर्वहन करना एवं शिकायतों पर सुनवाई किया जाना।
2	उपाध्यक्ष(द्वय)	उ0प्र0 राज्य महिला आयोग अधिनियम 2004 यथासंशोधित 2007 में प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्य का निर्वहन करना एवं शिकायतों पर सुनवाई किया जाना।
3	सदस्य सचिव	(1)आयोग में प्रशासन एवं शिकायतों से संबंधित सभी कार्यों को किया जाना। (2) अन्य कार्य जो अध्यक्ष द्वारा सौंपा जाये।
4	विधि अधिकारी	आयोग के विभिन्न मामलों में विधिक राय देना।
5	सहायक निबन्धक	सदस्य सचिव के निर्देशन में कार्य करना।
6	वित्त एवं लेखाधिकारी	आयोग के समस्त वित्तीय मामलों से संबंधित कार्य।
7	प्रचार—प्रसार अधिकारी	सदस्य सचिव के निर्देशन में कार्य करना।
8	निजी सचिव	अध्यक्ष/उपाध्यक्ष द्वय द्वारा सौंपे गये कार्यों का निर्वहन।
9	वैयक्तिक सहायक	अध्यक्ष/उपाध्यक्ष द्वय द्वारा सौंपे गये कार्यों का निर्वहन।
10	सहायक विधि अधिकारी	विधि अधिकारी के निर्देशन में कार्य करना।

11	प्रशासनिक अधिकारी	सदस्य सचिव के निर्देशन में कार्य करना।
12	कार्यालय अधीक्षक	आयोग के कार्यालय के सभी कर्मचारियों के काम—काज का सामान्य निरीक्षण और उन पर नियंत्रण रखना तथा उनके पटल के काम—काज का प्रशिक्षण देना। अन्य कार्य जो अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य सचिव द्वारा सौंपा जाये।
13	शोध सहायक	आयोग में प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के आवेदनों एवं कागजात का परीक्षण एवं शोध करके उनका वर्गीकरण करना।
14	लेखाकार	आयोग में लेखा सम्बन्धी समस्त कार्य करना।
15	विधि सहायक	आयोग के कार्यालय में शिकायत से सम्बन्धित प्रार्थना पत्रों पर कार्यवाही करवाकर अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना
16	आशुलिपिक ग्रेड—1	शिकायत से सम्बन्धित प्रार्थना पत्रों पर कार्यवाही कर अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना एवं पत्रावलियों का रख—रखाव।
17	वरिष्ठ सहायक	शिकायत से सम्बन्धित प्रार्थना पत्रों पर कार्यवाही कर अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना एवं पत्रावलियों का रख—रखाव।
18	महिला काउंसलर	
19	महिला अधिवक्ता	विधि अधिकारी के निर्देशन में कार्य करना।
20	कम्प्यूटर आपरेटर बी	प्राप्त शिकायतों पर निर्देशानुसार कम्प्यूटर से समन जारी करना।
21	कम्प्यूटर आपरेटर ए	शिकायत से सम्बन्धित प्रार्थना पत्रों पर कार्यवाही कर अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना एवं

		पत्रावलियों का रख—रखाव।
22	आशुलिपिक ग्रेड—2	शिकायत से सम्बन्धित प्रार्थना पत्रों पर कार्यवाही कर अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना एवं पत्रावलियों का रख—रखाव।
23	वरिष्ठ लिपिक	शिकायत से सम्बन्धित प्रार्थना पत्रों पर कार्यवाही कर अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना एवं पत्रावलियों का रख—रखाव।
24	कनिष्ठ लिपिक	शिकायत से सम्बन्धित प्रार्थना पत्रों पर कार्यवाही कर अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना एवं पत्रावलियों का रख—रखाव।
25	वाहन चालक	अध्यक्ष/सदस्य सचिव एवं अन्य अधिकारियों के साथ सम्बद्ध किये गये सरकारी वाहन चलाना।
26	अर्दली	सम्बन्धित अधिकारी द्वारा सौंपे गये कार्य।
27	डाक रनर	कार्यालय की समस्त डाक लगाना।
28	चौकीदार	कार्यालय कक्षों को खोलने, बन्द करने और उनकी सामान्य देखभाल करना।
29	चपरासी	सम्बद्ध पदाधिकारी/अधिकारी द्वारा सौंपे गये कार्य करना।
30	स्वीपर	कार्यालय कक्षों तथा आयोग में साफ सफाई से सम्बन्धित कार्य करना।